

पत्रांक:...../
डी०एफ०पी०/एफ००१-०८/२०१४
सेवा में,

पटना, दिनांक.....

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत ₹1,12,500,00.00 (एक करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत ₹1,12,500,00.00 (एक करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का व्यय उद्योग विभाग द्वारा पी०एम०ए० के रूप में चयनित एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध किया जायेगा।

3. यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

4. राशि का व्यय वहन बजट मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-23, उप शीर्ष 0104-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड 23-2852807890104, के विषय शीर्ष 0104.28.03 कन्सल्टेन्सी मद में उपबंधित राशि से ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपये) मात्र एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मॉग संख्या-23, उप शीर्ष 0107-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य (परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य), विपत्र कोड 23-2852807960107, के विषय शीर्ष 0107.28.03 कन्सल्टेन्सी मद में उपबंधित राशि से 37.50 लाख (सैतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है। राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-46 पर की जायेगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी०एल०खाता सं०-277 में उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263/वि०, दिनांक-20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

8. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-डी०एफ०पी०/एफ००१-०८/२०१४ के पृष्ठ-108/टि० पर एवं गै०स०प्र०स०-127, दिनांक-01.03.2019 द्वारा प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-डी०एफ०पी०/एफ००१-०८/२०१४ के पृष्ठ- /टि० पर दिनांक-..... को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 की कंडिका-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

कमरा: पृष्ठ-02 पर...

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकारसी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

प्रतिलिपि- निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक 239...../
डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0)/प्रशाखा-1 योजना (स0)/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।